GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 4954
TO BE ANSWERED ON 31st March, 2023

IMPLEMENTATION OF ONE RANK ONE PENSION SCHEME

4954. SHRI VIJAYAKUMAR ALIAS VIJAY VASANTH:
SHRI RAVNEET SINGH BITTU:
SHRI THIRUNAVUKKARASAR SU:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Government is aware of the large number of complaints regarding implementation of One Rank One Pension Scheme, if so, the details thereof along with the steps taken by the Government in this regard;

(b) whether it is a fact that there has been a delay in release of payments to ex-servicemen under the 'One Rank One Pension (OROP)' Scheme, if so, the details thereof along with the reasons therefor;

(c) whether the Government has recently agreed to release the pending dues under OROP, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(d) the total number of ex-servicemen likely to be benefited by this decision of the Government and the timeline by which the pending dues are likely to be released along with the total amount likely to be disbursed in this regard; and

(e) the details of the measures being taken by the Government to ensure timely disbursal of the OROP benefits to the defence personnel in the country in future?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI AJAY BHATT)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a): Yes, Sir. After the implementation of OROP w.e.f 01.07.2019, grievances have been received. Ministry is processing the grievances according to the grievances disposal policy of Government of India.

(b) & (c): No, Sir. Payment on account of OROP is being disbursed as per the guidelines issued by the Government on the subject issue.

(d): The total number of ex-servicemen likely to be eligible for OROP w.e.f 01.07.2019 is 25,13,004 and their arrears due on account of OROP shall be paid within the stipulated timeline as per Government policy. In this regard, Financial Implication of Rs. 29,571.77 Cr has been assessed as arrears upto February 2023 and Financial Implication per annum (@38% DR) will be Rs. 8,902.44 Crore.

(e): All the Pension Disbursing Agencies (Banks/Defence Pension Disbursement Officers/SPARSH) have been directed to complete payment of arrears on account of OROP revision in stipulated time frame.

*****

https://www.govtstaff.com

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4954

31 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

वन रैंक वन पेंशन योजना का कार्यान्वयन

4954. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री रवनीत सिंहः
श्री सु. थिरुनवुक्करासर:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बड़ी संख्या में वन रैंक वन पेंशन योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को भुगतान जारी करने में देरी हुई है और यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार हाल ही में ओआरओपी के अंतर्गत बकाया धनराशि जारी करने पर सहमत हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार के इस निर्णय से कुल कितने भूतपूर्व सैनिकों को लाभ होने की संभावना है और लंबित देय राशि को जारी किए जाने की संभावित समय-सीमा क्या है तथा इस संबंध में कुल कितनी धनराशि संवितरित किए जाने की संभावना है; और

(ड.) सरकार द्वारा भविष्य में देश में रक्षाकर्मियों को ओआरओपी के लाभों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

https://www.govtstaff.com

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क): जी, हां । दिनांक 01.07.2019 से वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के कार्यान्वयन के बाद से शिकायतें प्राप्त हुई हैं । मंत्रालय भारत सरकार की शिकायत निवारण नीति के अनुसार इन शिकायतों पर कार्रवाई कर रहा है ।

(ख) और (ग): जी, नहीं । वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) से संबंधित भुगतान का संवितरण इस विषय पर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है ।

(घ): दिनांक 01.07.2019 से वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के लिए पात्र होने वाले भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 25,13,004 है और ओआरओपी के फलस्वरूप उनकी देय बकाया राशि का भुगतान सरकारी नीति के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में किया जाएगा । इस संबंध में, फरवरी, 2023 तक बकाया राशि के रूप में 29,571.77 करोड़ रुपए का वित्तीय व्यय निर्धारित किया गया है और प्रतिवर्ष (38% महंगाई राहत की दर से) वित्तीय व्यय 8,902.44 करोड़ रुपए होगा ।

(ड.): सभी पेंशन संवितरण एजेंसियों (बैंक/रक्षा पेंशन संवितरण अधिकारी/स्पर्श) को ओरआरओपी संशोधन से संबंधित बकाए का भुगतान निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए निदेश दिया गया है ।

******

https://www.govtstaff.com